

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-प्रशासनिक स्वीकृति-316/2019-Part-II-1261(मो०) /पटना, दिनांक-22/6/2020
प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल हाजीपुर।

विषय:-लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर के अधीन जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत लालगंज प्रखण्ड के खरौना पोखर के जीर्णोद्धार कार्य का संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-1233 (मो०), दिनांक-19.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि उक्त योजना में स्थल पर नापी करने के बाद तालाब/पोखर का क्षेत्रफल काफी ज्यादा बढ़ने के कारण योजना की राशि मूल प्रशासनिक स्वीकृति से 207.877 प्रतिशत बढ़ जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द किया जा रहा है।

अनुरोध है कि अपने स्तर से योजना स्थल का निरीक्षण कर पुनरीक्षित डी०पी०आर० सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सके।

विश्वासभाजन,

22/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1261(मो०) /पटना, दिनांक-22/6/2020

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

22/6/22